न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 48/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–ग्यारसीदेवी पत्नि काना प्रजापत निवासी बाडिया खुर्द (नान्दशा) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2–पारसीदेवी पत्नि सुन्दरलाल प्रजापत निवासी बाडिया खुर्द (नान्दशा) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

3–छगनीदेवी पत्नि गिरधारीलाल प्रजापत निवासी बाडिया खुर्द (नान्दशा) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीयागण

बनाम

1–गणपतसिंह पिता पदमसिंह राजपुत निवासी नान्दशा खुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2–भंवरसिंह पिता कालु राजपुत निवासी नान्दशा खुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

3–भागीरथ पिता कालु कुमावत निवासी बाडिया खुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

4–नारायण पिता डालू कुमावत बाडिया खुर्द (नान्दशा) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 15.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/कोर्ट केम्प नान्दशा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दशा पटवार हक्ला नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीयागण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 3058 रकबा 1.80 हे0, आराजी संख्या 3084 रकबा 1.81 है0 आराजी संख्या 3085 रकबा 0.36 है0 जो खाता संख्या 510 पर दर्ज रेकार्ड है कुल किता 3 कुल रकबा 3.97 है0 स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीयागण की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मूश्तकील निशानात नही होने की वजह से पक्षकारान के दरम्यान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा होते रहते हैं। तथा प्रार्थीयागण को घास आदि काटने में फसल कास्त करने, आराजियात को विकसित करने के समय आपस में सीमा का विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थीयागण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीयागण ने

विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जबाव देते रहे हैं। प्रार्थीयागण ने दिनांक 30.04.2018 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इन्कार हो गये। जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 23.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 01 से चार बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीयागण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम नान्दशा पटवार हक्ला नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीयागण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 3058 रकबा 1.80 हे0, आराजी संख्या 3084 रकबा 1.81 है0 आराजी संख्या 3085 रकबा 0.36 है0 जो खाता संख्या 510 पर दर्ज रेकार्ड है कुल किता 3 कुल रकबा 3.97 है0 स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीयागण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीयागण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 300/– अक्षर तीन सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीयागण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1900/– अक्षरे एक हजार नौ सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावें। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा